

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेड़ा तहसील बनेड़ा  
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर  
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 17/2017

अनवान

1 कमलेश पिता छगनलाल माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा ..... वादी

बनाम

- 1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0
- 2 श्रीकिशन पिता दयाल माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 3 भोलु पिता दयाल माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 4 छीतर पिता दयाल माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 5 मांगीबाई बेवा दयाल माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 6 अनोपी बेवा लादु माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 7 चोथु पिता रामसुख माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 8 नानु पिता रामसुख माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 9 दुर्गा पिता छगनलाल माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा ..... प्रतिवादी


वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी

-:: निर्णय ::-

दिनांक 30.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके बनेड़ा पटवार हल्का क्षेत्र बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 1779, 3175, 3176, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3534, कुल कित्ता 11 कुल रकबा 12-06 बीघा भूमि दयाल पिता नंदा अनोपी बेवा लादु लक्ष्मण चोथु नानु पिता रामसुख माली सा0 देह खातेदार के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी । जिसमें दयाल पिता नन्दा माली की मृत्युपरान्त नारान्तकरण खोला गया जिसमें उसके चार पुत्र व पत्नि श्रीकिशन भोलु छीतर छगन पिता दयाल मांगीबाई बेवा दयाल के नाम नामान्तकरण खोला। इसके पश्चात वादी के पिता छगनलाल की मृत्युपरान्त खुले नामान्तकरण में वादी का नाम कमलेश पिता छगनलाल माली के स्थान पर पवन पिता छगनलाल माली दर्ज कर दिया गया। जबकी वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक होकर दादा के जीवन काल से ही काबिज है एवं वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी उक्त आराजीयात पर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। अतः वादी का नाम कमलेश पिता छगनलाल माली के स्थान पर पवन पिता छगनलाल माली सह खातेदार राजस्व रेकार्ड में हुए त्रुटीपूर्ण अंकन को दुरुस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा  
जिला भीलवाड़ा (राज.)

2. प्रकरण को दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प शिविर बनेडा के लिए पंजीबद्ध कर दर्ज रजिस्टर किया गया। लोक अदालत शिविर के दौरान ही दिनांक 30.06.2017 को वादी कमलेश पिता छगनलाल माली व प्रतिवादी संख्या 8 के पुत्र सम्पत पिता नानुराम माली के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की।
3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एवं कलमबद्ध बयानो एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र के साथ फोटो पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड की प्रति आदि रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादी का नाम कमलेश पिता छगनलाल माली है। लिहाजा वादी का वाद पत्र मेरिट व परिक्षण से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

--:आदेश:--

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके बनेडा पटवार हल्का क्षेत्र बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 1779, 3175, 3176, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3534, कुल किता 11 कुल रकबा 12-06 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम पवन पिता छगनलाल माली सा0 देह सह खातेदार के बजाय कमलेश पिता छगनलाल माली सा0 देह सह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)  
 उपखण्ड अधिकारी, बनेडा  
 उपखण्ड जिला भीलवाड़ा  
 जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेडा तहसील बनेडा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 17/2017

अनवान

1 कमलेश पिता छगनलाल माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा  
..... वादी

बनाम

- 1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भील0
- 2 श्रीकिशन पिता दयाल माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
- 3 भोलु पिता दयाल माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
- 4 छीतर पिता दयाल माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
- 5 मांगीबाई बेवा दयाल माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
- 6 अनोपी बेवा लादु माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
- 7 चोथु पिता रामसुख माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
- 8 नानु पिता रामसुख माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
- 9 दुर्गा पिता छगनलाल माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा

..... प्रतिवादी

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी

-:: निर्णय ::-

दिनांक – 30.06.2017

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88-89-90-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बनेडा पटवार हल्का क्षेत्र बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा स्थित आराजी संख्या 1779, 3175, 3176, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3534, कुल किता 11 कुल रकबा 12-06 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम पवन पिता छगनलाल माली सा0 देह सह खातेदार के बजाय कमलेश पिता छगनलाल माली सा0 देह सह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेडा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

डिक्री आज दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी, बनेडा

उपखण्ड अधिकारी, बनेडा  
जिला भीलवाडा (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेड़ा तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 17/2017

अनवान

1 कमलेश पिता छगनलाल माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा  
..... वादी

बनाम

- 1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0
- 2 श्रीकिशन पिता दयाल माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 3 भोलु पिता दयाल माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 4 छीतर पिता दयाल माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 5 मांगीबाई बेवा दयाल माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 6 अनोपी बेवा लादु माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 7 चोथु पिता रामसुख माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 8 नानु पिता रामसुख माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
- 9 दुर्गा पिता छगनलाल माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा  
..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी

-:: निर्णय ::-

दिनांक – 30.06.2017

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88-89-90-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बनेड़ा पटवार हल्का क्षेत्र बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 1779, 3175, 3176, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3534, कुल किता 11 कुल रकबा 12-06 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम पवन पिता छगनलाल माली सा0 देह सह खातेदार के बजाय कमलेश पिता छगनलाल माली सा0 देह सह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिक्केन अपना-अपना वहन करे।

डिक्री आज दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेड़ा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा  
जिला भीलवाड़ा (राज.)